

**Rule 40 : Manner of claiming credit in special circumstances**

- (1) The Input tax credit claimed in accordance with the provisions of sub-section (1) of section 18 on the inputs held in stock or inputs contained in semi-finished or finished goods held in stock, or the credit claimed on capital goods in accordance with the provisions of clauses (c) and (d) of the said sub-section, shall be subject to the following conditions, namely,—
- (a) The input tax credit on capital goods, in terms of clauses (c) and (d) of sub-section (1) of section 18, shall be claimed after reducing the tax paid on such capital goods by five percentage points per quarter of a year or part thereof from the date of invoice or such other documents on which the capital goods were received by the taxable person.
- <sup>1</sup>[(b) the registered person shall within a period of thirty days from the date of becoming eligible to avail the input tax credit under sub-section (1) of section 18, or within such further period as may be extended by the Commissioner by a notification in this behalf, shall make a declaration, electronically, on the common portal in **FORM GST ITC-01** to the effect that he is eligible to avail the input tax credit as aforesaid:
- Provided that** any extension of the time limit notified by the Commissioner of State tax or the Commissioner of Union territory tax shall be deemed to be notified by the Commissioner.]
- (c) the declaration under clause (b) shall clearly specify the details relating to the inputs held in stock or inputs contained in semi-finished or finished goods held in stock, or as the case may be, capital goods—
- (i) on the day immediately preceding the date from which he becomes liable to pay tax under the provisions of the Act, in the case of a claim under clause (a) of sub-section (1) of section 18;

---

1 Clause (b) substituted by Noti. No. 22/2017–Central Tax, dt. 17-08-2017 w.e.f. 01-07-2017. Earlier to substitution it read as under:

"(b) the registered person shall within a period of thirty days from the date of his becoming eligible to avail the input tax credit under sub-section (1) of section 18 shall make a declaration, electronically, on the common portal in **FORM GST ITC-01** to the effect that he is eligible to avail the input tax credit as aforesaid;"

**Central Goods & Services Tax Rules, 2017**

- (ii) on the day immediately preceding the date of grant of registration, in the case of a claim under clause (b) of sub-section (1) of section 18;
  - (iii) on the day immediately preceding the date from which he becomes liable to pay tax under section 9, in the case of a claim under clause (c) of sub-section (1) of section 18;
  - (iv) the on the day immediately preceding the date from which supplies made by the registered person becomes taxable, in the case of a claim under clause (d) of sub-section (1) of section 18;
  - (d) The details furnished in the declaration under clause (b) shall be duly certified by a practicing chartered accountant or a cost accountant if the aggregate value of claim on account of central tax, State tax, Union territory tax and integrated tax exceeds two lakh rupees;
  - (e) the input tax credit claimed in accordance with the provisions of clauses (c) and (d) of sub-section (1) of section 18 shall be verified with the corresponding details furnished by the corresponding supplier in **FORM GSTR-1** or as the case may be, in **FORM GSTR-4**, on the common portal.
- (2) The amount of credit in case of supply of capital goods or plant and machinery, for the purposes of sub-section (6) of section 18, shall be calculated by reducing the input tax on the said goods at the rate of five percentage points for every quarter or part thereof from the date of issue of invoice for such goods.
-

**नियम 40: विशेष परिस्थितियों में प्रत्यय का दावा करने की रीति**

(1) स्टाक में धारित इनपुट या स्टाक में धारित अर्द्धपरिरूपित या परिरूपित माल में अंतर्विष्ट इनपुट पर और उक्त उपधारा के खंड (ग) और खंड (घ) के उपबंधों के अनुसार पूंजी माल पर दावा किए गए प्रत्यय पर धारा 18 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार दावा किया गया इनपुट कर प्रत्यय निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा, अर्थात् :-

(क) धारा 18 की उपधारा (1) के खंड (ग) और खंड (घ) के निबंधनानुसार, पूंजी माल पर इनपुट कर प्रत्यय का दावा, ऐसे पूंजी माल पर संदत्त कर को, बीजक या ऐसे अन्य दस्तावेजों, जिनके आधार पर कराधेय व्यक्ति द्वारा पूंजी माल प्राप्त किया गया था, की तारीख से, किसी वर्ष की प्रत्येक तिमाही या उसके किसी भाग के लिए पांच प्रतिशत पाइंट तक कम करने के पश्चात्, किया जाएगा ;

<sup>1</sup>(ख) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति धारा 18 की उपधारा (1) के अधीन इनपुट कर प्रत्यय का लाभ लेने के लिए पात्र होने की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर, जो इस निमित्त अधिसूचना द्वारा आयुक्त द्वारा बढ़ाई जा सकेगी, इस आषय की प्ररूप जीएसटीआईटीसी-01 में सामान्य पोर्टल पर इलैक्ट्रानिक रूप से घोषणा करेगा कि वह पूर्वोक्त इनपुट कर प्रत्यय का लाभ लेने के लिए पात्र है :

परन्तु राज्य कर आयुक्त या संघ राज्य क्षेत्र कर आयुक्त द्वारा अधिसूचित समय-सीमा का कोई विस्तार आयुक्त द्वारा अधिसूचित किया गया समझा जाएगा ।]

(ग) खंड (ख) के अधीन घोषणा में स्पष्टतः,-

(i) धारा 18 की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन दावे की दशा में, उस तारीख से, जिसको वह अधिनियम के उपबंधों के अधीन कर संदाय के लिए दायी हुआ था, ठीक पूर्ववर्ती दिन को ;

(ii) धारा 18 की उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन दावे की दशा में, रजिस्ट्रीकरण प्रदाय किए जाने की तारीख से ठीक पूर्ववर्ती दिन को ;

(iii) धारा 18 की उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन दावे की दशा में, उस तारीख से, जिसको वह धारा 9 के अधीन कर संदाय के लिए दायी हुआ था, ठीक पूर्ववर्ती दिन को;

(iv) धारा 18 की उपधारा (1) के खंड (घ) के अधीन दावे की दशा में, उस तारीख से, जिससे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा किए गए प्रदाय कराधेय हुए हैं, ठीक पूर्ववर्ती दिन को,

1 अधिसूचना क्रमांक 22/2017-केन्द्रीय कर, दिनांक 17.08.2017 द्वारा खंड (ख) प्रतिस्थापित (प्रभावशील दिनांक 01.07.2017)। प्रतिस्थापन के पूर्व यह इस प्रकार था :

(ख) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, उसके धारा 18 की उपधारा (1) के अधीन इनपुट कर प्रत्यय कर उपयोग करने हेतु पात्र होने की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर, इलैक्ट्रानिक रूप से, प्ररूप जीएसटी आईटीसी-01 में, सामान्य पोर्टल पर, इस प्रभाव की घोषणा करेगा कि वह यथापूर्वोक्त इनपुट कर प्रत्यय का उपयोग करने का पात्र है;

**केन्द्रीय माल एवं सेवा कर नियम, 2017**

यथास्थिति, स्टाक में धारित इनपुट या स्टाक में धारित अर्द्धपरिरूपित या परिरूपित माल में अंतर्विष्ट इनपुट पूंजी माल के संबंध में ब्यौरे विनिर्दिष्ट किए जाएंगे।

- (घ) यदि केन्द्रीय कर, राज्य कर, संघ राज्यक्षेत्र कर और एकीकृत कर के मद्दे दावे का कूल मूल्य दो लाख रूपए से अधिक है तो खंड (ख) के अधीन घोषणा में दिए गए ब्यौरे किसी व्यवसायरत चार्टर्ड अकाउंटेंट या लागत लेखापाल द्वारा सम्यक् रूप से प्रमाणित होंगे;
- (ङ.) धारा 18 की उपधारा (1) के खंड (ग) और खंड (घ) के उपबंधों के अनुसार दावा किए गए इनपुट कर प्रत्यय को तत्स्थानी प्रदायकर्ता द्वारा, यथास्थिति, **प्ररूप जीएसटीआर-01** या **प्ररूप जीएसटीआर-04** में, सामान्य पोर्टल पर, दिए गए तत्स्थानी ब्यौरों के अनुसार सत्यापित किया जाएगा।
- (2) धारा 18 की उपधारा (6) के प्रयोजनों के लिए, पूंजी माल या संयंत्र और मशीनरी के प्रदाय की दशा में, प्रत्यय की रकम, ऐसे माल के लिए बीजक जारी करने की तारीख से, किसी वर्ष की प्रत्येक तिमाही या उसके किसी भाग के लिए, ऐसे माल पर इनपुट कर को पांच प्रतिशत पाइंट तक कम करके, संगणित की जाएगी।
-